न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /अध्यक्ष/ /2014—15 निगरानी 4188-PBR/14

मुंशीसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह निवासी गौमती की फडी सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वा0......अपीलांट

बनाम

म0प्र0शासन ....रेस्पोडेन्ट

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार महोदय जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 4/2014—15 अ—68 में पारित आदेश दिनांकी 18.11.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि ग्राम शहर लश्कर मे स्थित सर्वे कमांक 1227, सर्वे कमांक 1826, है जिस पर प्रार्थी का काफी पुराना भवन बना हुआ है और प्रार्थी अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है उक्त भवन जो कि 15.08.1950 से पूर्व का निर्मित है उक्त भवन का सीमांकन कराये बगैर ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जिसमें प्रार्थी द्वारा कितने रकवे पर तथा कब से कब्जा किया है इसका उल्लेख किये बगैर ही कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया । कारण बताओं सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की और अपनी प्रारम्भिक आपत्ति में यह मुद्दा उठाया कि प्रार्थी ने किसी भी शासकीय भूमि पर कोई अवैध कब्जा नही किया है और प्रार्थी को जो कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है वह म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 248 के तहत निर्मित प्रावधानों के अनुरूप जारी नही किया गया है एवं उक्त भवन 1950 से पूर्व का निर्मित होने के कारण इस न्यायालय को म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है तथा यह भी निवेदन किया था कि सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक आपत्तियों का निराकरण किया जावें उसके पश्चात ही प्रकरण में जबाव एवं अन्य कार्यवाही की जावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियों पर विचार न करते हुये यह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 4188–पीबीआर/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.06.2015	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 18–11–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार की आदेश पत्रिका को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण साक्ष्य उपरांत किये जाने का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति को निरस्त नहीं किया गया है अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया प्री–मेच्योर होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	